

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/माध्य/अ-4/सह शिक्षा/2019-20

दिनांक : 10/7/2019

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय)-माध्यमिक शिक्षा

नागौर/जोधपुर।

विषय: राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से सह शिक्षा विद्यालय के रूप में परिवर्तन की स्वीकृति बाबत।

प्रसंग: राज्य सरकार का आदेश क्रमांक: प. 4(6) शिक्षा-1/सहशिक्षा/2019 दिनांक 09.07.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक स्वीकृति आदेश क्रमांक : प. 4(6) शिक्षा-1/सहशिक्षा/2019 दिनांक 09.07.2019 की पालना में निम्नांकित सूची के अनुसार 02 राजकीय बालिका विद्यालयों को सह शिक्षा विद्यालय के रूप में परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. स	विद्यालय का नाम	परिवर्तन पश्चात सह शिक्षा विद्यालय का नाम
1.	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, धारणा, ग्राम पंचायत धारणा, ब्लॉक जायल, जिला-नागौर	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धारणा, ग्राम पंचायत धारणा, ब्लॉक जायल, जिला-नागौर
2	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, हरलाया, ग्राम पंचायत हरलाया, ब्लॉक ओसियां, जिला-जोधपुर	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हरलाया, ग्राम पंचायत हरलाया, ब्लॉक ओसियां, जिला-जोधपुर

शर्त:-

1. उक्त विद्यालय सह शिक्षा विद्यालय के रूप में सत्र 2019-20 से प्रारम्भ होंगे।
2. उक्त परिवर्तन में पदों की मांग नहीं की जावे।

(W) 

(नथमल डिडेल)

माई. ए. ए. ए.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
7. वितीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी), कार्यालय हाजा।
8. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर/जोधपुर।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं मदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, नागौर/जोधपुर।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान, जायल/ओसियां।
11. संबंधित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक रासमावि/रामावि को निर्देशों की तत्काल पालना हेतु।
12. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन: एबी/संस्थापन-सी-1,2,3,4/संस्थापन-एफ/शाला दर्पण /बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./बजट/ योजना/सामान्य प्रशासन अनुभाग/ माध्यमिक अनुभाग के प्रमाण अ-1, कार्यालय हाजा।
13. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर